

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 73 / 2013

तारीख रजु 19.06.2013

उनवान

मोहर सिंह पुत्र श्री सुक्की जाति मीना निवासी दानालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

---वादी

बनाम

भगवान सहाय पुत्र रामश्री बगै0 जाति मीना निवासी दानालपुर तहसील. हिण्डौन जिला करौली

-----प्रतिवादीगण 06

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- कोई नहीं


निर्णय

दिनांक 16.03.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बावत् स्थाई निषेद्याज्ञा स्थित ग्राम दानालपुर तहसील हिण्डौन के खसरा न. 321 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाई गई। पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी दावा मुकदमा नंबर 73/2013 मोहरसिंह बनाम भगवान सहाय अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


16.03.2020
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

